

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक: 1913 / FP/UK/ROAD/16265/2015 दिनांक: देहरादून 21 जनवरी, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय—(उत्तर मध्य—क्षेत्र)
25, सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद—अल्मोड़ा में देघाट तल्ली नारायण मन्दिर मालभीडा धारकोट सेरा मुनानी मालखेत नागचूलाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:—भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS पत्र संख्या— 8बी/यूसीपी/06/27/2017/एफ0सी0/1315 दिनांक 20-09-2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 20-09-2019 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 04 बिन्दुओं की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	बिन्दु संख्या-1 का उत्तर अभी भी सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09-11-2018 के बिन्दु संख्या-01 का सही जवाब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Employment Generation detail की सही सूचना अंकित कर ऑनलाईन Part-I, Para-E में अपलोड कर दी गयी है।
2	बिन्दु संख्या-02 के प्रतिउत्तर में cost benefit analysis अभी भी old formate में ही पैरा-G part-I में upload की गई है। राज्य सरकार cost benefit analysis को New formate में प्रस्तुत तथा अपलोड करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण प्रपत्र नये फॉरमेट में ऑनलाईन Part-I, के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
3	बिन्दु संख्या-3 के प्रतिउत्तर में वन भूमि के प्रयोग का औचित्य संतोषजनक नहीं है। अतः राज्य सरकार वन भूमि के प्रयोग का औचित्य पुनः प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि का औचित्य एवं आवश्यकता का प्रमाण-पत्र संतोषजनक तैयार कर पुनः ऑनलाईन Part-I, अपलोड कर दिया गया है।
4	बिन्दु संख्या-4 के प्रतिउत्तर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण वन क्षेत्राधिकारी द्वारा दिनांक 22-01-2019 को किया गया। अतः राज्य सरकार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कराये तथा सम्बन्धित रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन क्षेत्राधिकारी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के उपयुक्तता हेतु दिनांक 22-01-2019 को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संयुक्त निरीक्षण) प्रमाण-पत्र ऑनलाईन Part-I, अपलोड कर हार्ड प्रति प्रेषित की गई थी, जिसका प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 07-12-2019 को स्थल निरीक्षण कर दिया गया है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

11/2/20
(डी0जे0के0 ग्रामी)